

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कबीरधाम

कार्यालय का दूरभाष एवं फैक्स नंबर 07741-233003
Website : kawardha.gov.in , E-mail : deo-kawardha.cg@nic.in

आदेश

क्रमांक / 417 / वि.स.नि./अवकाश/2018 कबीरधाम, दिनांक 22/08/2018

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक 439/स्था./2018/2997 दिनांक 21.08.2018 के परिपालन में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2018 को दृष्टिगत रखते हुये मेरे पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को अर्जित अवकाश एवं अन्य अवकाश कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत नहीं किये जावेंगे। कार्यालय प्रमुख द्वारा अवकाश आवेदन पत्र को परीक्षण उपरांत पर्याप्त कारण होने पर ही इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। सीधे आवेदन पत्र इस कार्यालय में स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश दो दिवस तक कार्यालय प्रमुख निम्न शर्तों के तहत अवकाश अनुमति प्रदान कर सकते हैं:-

- (1) आकस्मिक अवकाश की अवधि नहीं बढ़ायेंगे।
- (2) अवकाश का उपभोग कर तत्काल अपने कार्यालय/मुख्यालय में उपस्थित होंगे।
- (3) निर्वाचन कार्य हेतु आवश्यकता होने पर अवकाश निरस्त किया जा सकेगा।

जिला निर्वाचन कार्यालय या सहायक रिटर्निंग आफिसर जिला कबीरधाम से कोई भी आदेश या पत्र आकस्मिक अवकाश में गये कर्मचारियों के लिये जारी होते हैं तो कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी रहेगी कि उक्त कर्मचारी को आदेश/पत्र तामिल करावें। इस आदेश का उल्लंघन करने पर या अवकाश में जाने के कारण निर्वाचन कार्य प्रभावित होता है तो इसके लिये संबंधित कर्मचारी/कार्यालय प्रमुख के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(अवनीश कुमार शरण)

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला-कबीरधाम छ.ग.

पृ. क्रमांक / 418 / वि.स.नि./अवकाश/2018 कबीरधाम, दिनांक 22/08/2018
प्रतिलिपि:-

- (1) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (2) सर्व कार्यालय प्रमुख..... जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कवर्धा/बोड़ला/पण्डरिया
- (4) तहसीलदार, कवर्धा/स-लोहारा/बोड़ला/पण्डरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (5) अधीक्षक/स्टेनो-टू-कलेक्टर, जिला कार्यालय कबीरधाम को सूचनार्थ।
- (6) सहायक संचालक, जिला जन सम्पर्क कार्यालय, कबीरधाम को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला-कबीरधाम छ.ग.